



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48127

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3278 वर्ष 2026

श्रीमती तबस्सुम

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : बेबी नाज़, सुहेल अहमद

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : सी०एस०सी०

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सुहेल अहमद और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याची का मामला यह है कि रिट याची के पति अर्थात् अनवर खान, जो रिजर्व पुलिस लाइन, बुलंदशहर में उर्दू अनुवादक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें सरकारी आवास अर्थात् मकान संख्या 08/11, श्रेणी द्वितीय, रिजर्व पुलिस लाइन, बुलंदशहर आवंटित किया गया था, की सेवाकाल के दौरान 21.12.2024 को मृत्यु हो गई। रिट याची मृतक की विधवा होने का दावा करती है जो पहले से ही आधिकारिक आवास के कब्जे में है, हालांकि, अब बेदखली नोटिस जारी किया गया है जिसमें रिट याची से आधिकारिक आवास खाली करने की अपेक्षा की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि बेदखली नोटिस को लागू नहीं किया जा सकता है और रिट याची को बेदखल नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब, जब रिट याची अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है और रिट याची की स्थिति और अवस्था को देखते हुए तथा इस तथ्य के साथ कि रिट याची के पास अपना कोई स्वतंत्र मकान नहीं है, रिट याची को बेदखल न किया जाए।
4. न्यायालय की राय में, एक बार जब रिट याची के पति की मृत्यु हो गई, तो मृतक की विधवा को दूसरे आवास की व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के लिए एक उचित समय प्रदान किया जाना चाहिए।
5. चूंकि मृत्यु 21.12.2024 को हुई थी और बेदखली नोटिस जो चुनौती का विषय है, दिनांक 21.11.2025 का है और क्वार्टर को अपने पास बनाए रखने के किसी भी विधिक अधिकार के अभाव में, यह न्यायालय वर्तमान मामले को हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता है।
6. तदनुसार, हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता है, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

मार्च 10, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।